उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की १६०वीं बैठक दिनांक २७ अप्रैल, २००५ का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की १६०वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे:—

१	श्री लव वर्मा	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र०शासन।	सदस्य
२.	श्री जय शंकर मिश्र	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन	सदस्य
२.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
३.	श्री राजन शुक्ला,	सचिव, वित्त, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र०शासन।	सदस्य
६.	श्री वी०बी० सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
५.	श्री के०के०चौधरी,	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०शासन।	सदस्य
७.	श्री वीर उदयन विसनोई	प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रतिनिधि,प्रबन्ध निदेशक,उ०प्र० जल निगम।	सदस्य
८.	श्री एम० एस० ख़ान	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
९.	श्री एस०एन० राम	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
१०.	श्रीयुत श्रीपाल वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सचिव

विशेष आमंत्री

११	श्री कामरान रिज़वी	अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	
१२.	श्री एच०डी०सिंह	वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	
१३.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की १६०वीं बैठक दिनांक २७.०४.२००५ का कार्यवृत्त

म०सं०	विषय	निर्णय
१६०/१	परिषद की १८६वीं बैठक दिनांक १०.०६.२००४ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की १८६ वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
१६०/२	परिषद की १८६वीं बैठक दिनांक १०.०६.२००४ की अनुपालन आख्या।	परिषद की १८६ वी बैठक की अनुपालन आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसपर परिषद द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए अवलोकित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

१६०/३	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम।	परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यो की सूची का अवलोकन किया गया।

वित्त एवं लेखानुभाग

१६०/४	वित्त वर्ष २००४–०५ के पुनरीक्षित व वित्त वर्ष २००५–०६ के प्रस्तावित आय–व्ययक (बजट) के संबंध में।	२००४–२००५ का पुनरीक्षित आय–व्यय अनुमोदित किया गया। २००५–२००६ का आय–व्यय इस निदेश के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्तावित ऋण लेने पर तभी विचार किया जाए जब परिषद के निवेशो से होने वालीं आय लाभकारी हो और ऋण लेना बेहतर विकल्प हो।

१६०/५	वर्ष ९७–९८ की बैलेन्स शीट (पुनरीक्षित) के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदित किया गया।
१६०/६	वित्तीय वर्ष ९८–९९, ९९–२००० एवं २०००–२००१ की पुनरीक्षित बैलेन्स शीट के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
१६०/७	वित्तीय वर्ष २००२–०३ की बैलेन्स शीट/ वार्षिक लेखों के संबंध में।	वित्तीय वर्ष २००२–२००३ की वैलेंस सीट अनुमोदित की गई। चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के आब्जर्वेशन के अनुसार समाधान करके विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

भूमि अर्जन अनुभाग

१६०/८	रावली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–१ पूरक–१ बिजनौर की धारा–२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/९	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद के धारा–३१(१) के प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।	वापस लिया गया। संशोधित प्रस्ताव क्रमांक २० पर प्रस्तुत।
१६०/१०	हापुड़ मेरठ मार्ग स्थित भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–३, हापुड़ जिला गाजियाबाद की नियोजन समिति की संस्तुतियाँ एवं परिषद अधिनियम १९६५ की धारा ३१(१) की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/११	जागृति विहार योजना संख्या–११, मेरठ का परिषद अधिनियम १९६५ की धारा–३१(१) की स्वीकृति का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/१२	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या ४ भाग २ (विस्तार) मुरादाबाद की नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं धारा– ३१(१) की स्वीकृति के संबंध में।	इस निर्देश के साथ प्रस्ताव स्थगित किया गया कि चूंकि योजना में अधिक भूमि छोड़ना प्रस्तावित है अतः गहन परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

१६०/१३	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–८ (मवीकला), सहारनपुर के प्रतिकर दर निर्धारण के संबंध में।	जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत प्रतिकर दर अनुमोदित की गई।
१६०/१४	मझोला भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–४, भाग–२ मुरादाबाद के अवशेष भूमि के प्रतिकर हेतु भूमि दर की स्वीकृति के संबंध में।	जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत प्रतिकर दर अनुमोदित की गई।
१६०/१५	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली की अवशेष सम्पत्तियों को क्रय करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। पुनः टेन्डरो में उचित दर देने हेतु आवास आयुक्त से अपेक्षा की गयी।
१६०/१६	परिषद की जी०टी०रोड बाई पास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी स्थित मौजा भदवर में हैरिटेज अस्पताल की अनुमन्यता हेतु २३५८२.१३ वर्ग मीटर भूमि के संबंध में।	आवास एवं विकास परिषद की योजना स्थगित होने के कारण आवास विकास परिषद स्तर से कोई कार्यवाही करना सम्भव नही है अतः जन समस्याओ के दृष्टिगत प्रश्नगत व urban development के अन्य नियन्त्रण कार्यो को सम्बन्धित प्राधिकरण से कराने हेतु शासन विचार करके प्राधिकरण को यथोचित निर्देश देना चाहें।
१६०/१७	परिषद की योजना संख्या–१ व ३, कानपुर में समाविष्ट पॉच नग सहकारी आवास समितियों की भूमि का परिषद अधिनियम १६६५ की धारा–५१ के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/१८	मेरठ योजना संख्या–७ में खसरा संख्या–३६५७ व ३६५८ को जिला प्रशासन मेरठ द्वारा परिवहन विभाग को आबंटित करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि प्रकरण विवाद निपटान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
१६०/१६	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या –४ भाग २, मुरादाबाद में समाविष्ट माया नगर हकारी आवास समिति लिमिटेड, मुरादाबाद की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

१६०/२०	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या २५५८/२ डा० वीरसेन सरोहा, पूर्व सदस्य विधान परिषद की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव अगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थगित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

१६०/२१	परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को उ०प्र० जल निगम की भाँति पूर्व से प्रदत्त समयमान वेतनमान की सुविधा को उ०प्र० जलनिगम के नवीनतम आदेशों के अनुसार संशोधित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/२२	अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/२३	परिषद कार्मिकों को वर्ष २००३–२००४ की अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/२४	परिषद में कार्यरत कर्मचारियों के स्वयं व उनके आश्रित की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/२५	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम में संशोधन।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/२६	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/२७	शासकीय कार्मिकों की भाँति परिषद कार्मिकों की अधिवर्सिता आयु ५८ वर्ष के स्थान पर ६० वर्ष निर्धारित किए जाने विषयक।	प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
१६०/२८	लिपिकीय–लेखा संवर्ग में एक ही पद पर १६ वर्ष से कार्यरत कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

१६०/२६	लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी पद के वेतनमानों में विसंगति के परिप्रेक्ष्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १४.११.२००३ एवं २२.०१.२००४ के अनुसार वेतनमान संशोधित किए जाने के संबंध में।	परिषद ने मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० १४.११.०३ जो लेखा संवर्ग की यचिका में पारित किया गया है, पर विचार किया गया। न्यायालय ने वर्ष १९९३ में परिषद की संस्तुतियो के दृष्टिगत वेतन विसंगतियाँ दूर करने पर विचार करने की अपेक्षा की है। प्रकरण वर्तमान में भी मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। परिषद द्वारा वर्ष ९३ में की गई संस्तुतियो के क्रम में परिषद के पूर्व संकल्प दि० ८.२.९३ का भी संज्ञान लिया गया, जिसमें विभिन्न संवर्गो की एकरूपता बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। इन १२ वर्षो में विभिन्न निगमों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो चुकी है और कुछ मूल वेतनमान समाप्त कर दिये गये है। (परिषद में कुछ पदो का पदनाम परिवर्तन एवं संविलयन किया गया है।) अन्य निगमो व राज्य सरकार के अन्तर्गत विभागो में भी कार्यवाही हुई है, यथा मण्डी परिषद में लेखा के चार पदो में संविलयन के उपरान्त मात्र दो पद (श्रेणी) रह गये है। इस प्रकार निगमो व राज्य सरकार में वर्तमान में लेखासर्वग के पदनामो व वेतनमानो को १९९३ की संस्तुतियो के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण किये बिना तार्किक रूप से किसी स्पष्ट निकर्ष पर नही पहुचा जा सकता है, साथ ही केवल एक सवंर्ग के सम्बन्ध में निर्णय से अनेक अन्य विसंगतिया उत्पन्न होगी। अतः संवर्गो के वेतनमानो के सम्बन्ध में व्यापक परीक्षण करके सुविचारित प्रस्ताव रखा जाये जिससे विभिन्न संवर्ग के बीच भविष्य में पुनः वेतन विसगतियाँ उत्पन्न न हो। संस्तुति करते समय अन्य निगमो/राज्य सरकार में उपलब्ध संगठनात्मक ढांचा, पदोकी अर्हताए एंव वेतनमानो की तुलनात्मक स्थिति का स्पष्ट रूप से परीक्षण कर लिया जाये। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६.१२.९६ एवं १४.११.०३ में निर्देश दिये गये है कि परिषद कर्मचारियो के वेतन निर्धारण के लिए परिषद स्वंय सक्षम है। शासन से अनुमति की आवश्यकता नही। उपरोक्त के दृष्टि यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से पुनः अनुरोध कर लिया जाये कि उक्त वादो में पक्षकार बनकर मा० न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष प्रस्तुत करें।

१६०/३०	वित्त (वेतन आयोग) द्वारा अनुमन्य दिनांक १ जनवरी, २००४ से बढ़ी हुयी दर पर मंहगाई भत्ता (वेतन का ६१ प्रतिशत) परिषद कर्मचारियों को भुगतान किए जाने हेतु अनुमोदन के संबंध में।	शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
१६०/३१	श्री शाहिद अली अन्सारी, वरिष्ठ सम्परीक्षक को उनके स्वयं हृदय रोग के उपचार पर हूए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु शासन से कार्योत्तर संस्तुति/अनुमति प्राप्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/३२	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक की पत्नी के कैंसर रोग के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

१६०/३३	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में लगभग १६० वर्गमीटर भूखण्ड को जैन मन्दिर सोसाइटी, गाजियाबाद के पक्ष में आबंटन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/३४	आर्य समाज मन्दिर को सेक्टर–१० विकास नगर विस्तार योजना लखनऊ में भूमि आबंटन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/३५	श्री दर्शन राम, अध्यक्ष, बोधिसत्व बाबा साहब डा० भीमराब अम्बेडकर विकास संस्थान को आबंटित भूखण्ड की दर निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/३६	परिषद की आबंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज, अनिर्माण शुल्क, विलम्ब शुल्क आदि के माफी हेतु समिति के गठन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/३७	यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को योजना संख्या–१, इटावा में आबंटित भूखण्ड संख्या ए–२४६ के विक्रय के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/३८	भारत के संसद भवन दिल्ली पर आतंकवादियों के हमले में शहीद सिपाही/महिला स्व० श्री कमलेश कुमारी के आश्रित श्री अवधेश कुमार को जनपद फर्रुखाबाद में निःशुल्क प्लाट दिए जाने के संबंध	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	फर्रुखाबाद में निःशुल्क प्लाट दिए जाने के संबंध में।	
१६०/३६.	डमरौली योजना मिर्जापुर में श्री मती प्रेमा देवी पाल पत्नी स्व० श्री भागवत पाल के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ४६७ से लगी अतिरिक्त भूमि की धनराशि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४०.	विकास नगर योजना, गोरखपुर में अवशेष लगभग ६०० से अधिक सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४१.	श्रीमती स्नेहलता यादव को हंसपुरम योजना संख्या–२ कानपुर में आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–१६० के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४२.	शिवा शिक्षा समिति द्वारा संचालित कैम्ब्रिज कालेज सेक्टर–७, आवास एवं विकास परिषद कालोनी सिकन्दरा, आगरा को क्रीड़ांगन हेतु उसके पास लगे भूखण्ड को विद्यालय रेट पर आबंटन किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४३.	श्री अशोक दूबे पूर्व सदस्य विधान परिषद को वृन्दावन योजना, लखनऊ में आबन्टित भूखण्ड संख्या–६सी/४३ के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

१६०/४४.	परिषद की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–२००० में प्रस्तावित पुनर्विकास/ पुनर्निमाण के मानकों में संशोधन व समायोजन।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४५.	प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु हाउसिंग डिमाण्ड सर्वे कराया जाना।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४६.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–२००० में एकल आवासीय भवन की परिभाषा में स्पष्टीकरण/ संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक ६ फरवरी, २००५ का अंगीकरण।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

१६०/४७	कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर १२ में समाविष्ट खसरा संख्या ७५६ व ७६१ की ६०० वर्गमीटर भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/४८	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा खसरा संख्या ४६१ व ४६२ में समाविष्ट १० विस्वा भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६०/४६	गाजियाबाद योजना संख्या–३ में समाविष्ट सर्व श्री दयानन्द आदि की भूमि का वास्तविक विकास व्यय के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा–५० के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लेने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५०	कमला नगर (धटवासन) योजना आगरा में अर्जित खसरा संख्या ६४५ रकबा ०–८–१४ बीघा भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आबंटित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५१	कुर्सी रोड विस्तार (विकास नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली परगना व तहसील लखनऊ स्थित खसरा संख्या २७० की क्षेत्रफल १६२० वर्गफुट भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५२	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सइदुलनिशा खसरा संख्या ५६३ व ५६४ में समाविष्ट ६४०० वर्ग फुट भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५३	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–१ में श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के खसरा संख्या ३०५/२ ग्राम परेड छावनी क्षेत्रफल २.२३ एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त/पृथक करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५४	परिषद की कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर–६ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच०–६/१ के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५५	वृन्दावन योजना संख्या–२, लखनऊ में खसरा संख्या १०३ की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

१६०/५६	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–४ भाग–२ मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या ६७०, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७/२,६७८/३, ६७२/१, ६५६/१ व ६६०/२ की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

१६०/५७	कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान परियोजना मद से न करके अधिष्ठान मद से किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५८	परिषद में दैनिक वेतन/मस्टर रोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण एवं शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/५९	परिषद में मस्टररोल श्रमिकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की भाँति वेतनमान एवं भत्ते अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६०	परिषद के इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार एवं भविष्य में परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में।	देय न्यूनतम दरों पर १० प्रतिशत अन्तरिम राहत देने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

१६०/६१	हंसपुरम योजना संख्या–२ कानपुर में निर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन पर आबंटित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६२	जिगर बिहार योजना मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या ए–३२१ के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ करने एवं रजिस्ट्री सम्पादन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६३	बुद्धि बिहार योजना मुरादाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या १बी/४१३ के विरुद्ध देय ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६४	लोहियापुरम योजना फतेहगढ़ के भूखण्ड संख्या २बी/१०७ में छूट दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६५	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में पंजीकृत विस्थापित आवेदकों को दुकानों के आबंटन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६६	परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ३४ के आर०सी० एवं ब्याज माफी	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

	के संबंध में।	
१६०/६७	परिषद की सत्यवान पुरी कटरा योजना, बस्ती में स्व० श्री राजमणि प्रसाद के पक्ष में आबंटित ई०डब्लू०एस० भवन संख्या संख्या ६२६ के विरुद्ध देय ब्याज की माफी के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६८	झूँसी योजना संख्या–२, इलाहाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ७२८/१ के विलम्ब शुल्क के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/६६	विकास नगर योजना, लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ४/५६१ के विरुद्ध देय समस्त ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७०	धोबी समाज के लोगों द्वारा ड्राई क्लीनिंग एवं लाण्ड्री व्यवसाय हेतु दुकानों के आबंटन/नीलामी में आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध मे।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७१	विकास नगर योजना में श्रीमती शीला सिंह को आबंटित एस०एफ०एस०भवन संख्या १३/१/ १६ के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७२	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर–६ में दयानन्द शिशु शिक्षा मन्दिर स्कूल समिति को आबंटित भूमि दर के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७३	परिषद की काशीपुर योजना संख्या–२ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या सी–१७ के साथ लगी अतिरिक्त भूमि पर लगाए गए ब्याज को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७४	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–६/५०१ एवं सी–६/५०२ के विरुद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७५	सिविल लाइन्स योजना मुरादाबाद में स्थित म०आ०वर्ग भवन संख्या–५३ के विरुद्ध ब्याज/ दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

१६०/७६.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची सप्तम, अष्टम एवं नवम।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/७७.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा आबंटित भूखण्डों पर "मेरा अपना घर" योजना के अन्तर्गत डिपाजिट कार्य के रूप में निर्माण करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

१६०/७८.	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, लखनऊ के नियोजन समिति की संस्तुतियाँ एवं परिषद अधिनियम १९६५ की धारा ३१(१) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
१६०/७९.	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ हेतु प्रस्तावित धारा-२८ के अन्तर्गत ४४६५.३६ एकड़ क्षेत्र में सूर्य बख्श पाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अधिसूचना के पश्चात क्रय की गयी भूमि को अवमुक्त करने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण में आवेदको द्वारा अवगत कराया गया कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रश्नगत भूमि १२.४८ एकड़ आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु धारा-२८ में अधिसूचित की गयी है, और दूसरी ओर इन्ही भूखण्डो पर राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा २९.१.२००५ को इंजीनिरिंग कालेज की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनापत्ति प्रेषित की गई है एवं अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक १६.१.२००५ को "लेटर आफ इन्टेन्ट " निर्गत किया गया है। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टेड जनसंख्या के दृष्टिगत मानको के अनुरूप एक से अधिक महाविद्यालय/ इंजीनिरिंग कालेज स्थापित किया जाना परिषद योजना में अनुमन्य एवं हित में है। प्रचलित नियमो एवं शासनादेश के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि का यथा स्थिति

		समायोजन किया जाना अथवा मुक्त किया जाना परिषद स्तर पर सम्भव नही है। अतः तद्नुसार इस प्रकरण को शासन को सदर्भित करते हुए निर्णय हेतु अनुरोध कर लिया जाये।
१६०/८०	जौनपुर इलाहाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जौनपुर के नियोजन समिति की संस्तुतियाँ एवं परिषद अधिनियम की धारा ३१(१) की स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
१६०/८१	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या संख्या–१ लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेठिया के खसरा संख्या–३८० रकबा १–१–० बीघा भूमि के बदले वृन्दावन योजना संख्या–२ लखनऊ में खसरा संख्या ४०५, ४०६, ४०७ की १–१–० बीघा भूमि श्रीमती शीलू प्रकाश, अध्यक्ष ए०एस०पब्लिक स्कूल को बेटरमेन्ट चार्ज (Betterment Charges) लेकर दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६०/८२	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

<u>**अध्यक्ष महोदय**</u>

कृपया कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(श्रीपाल वर्मा)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

29.4.2005
(नीरज कुमार गुप्ता)
आवास आयुक्त

(चितरंजन स्वरूप)
अध्यक्ष
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

पुष्टि की गई।